हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 06 अगस्त 2024, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार प्रदेश सरकार के 2016 से पूर्व और 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है।संशोधन के अनुसार, अब 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए मौजूदा मूल पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 की गुणन कारक तालिका के अनुसार उनके वेतन को नोशनली निर्धारित करके पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जा सकता है।2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, पेंशन गणना हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उप नियम 34 के प्रावधानों के तहत होगी। इसके अलावा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पेंशन व पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि पर महंगाई राहत स्वीकार्य होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ेगा और ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।पेंशन संवितरण प्राधिकारी पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद, पहली जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना और संवितरण करेंगे।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी है । सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि नीति के तहत वह नौकरी लेने के लिए पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने तीन साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा

नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए ये नियुक्तियां नीति में समय सीमा में छूट दे कर की जा रही हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इन 14 आश्रितों में से 2 को समूह ख और 12 को समूह ग पदों पर नियुक्त किया गया है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति -2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे सामान्य आवासीय भूखंड वाली लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय भूखंड वाले घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार की अनुमति दी गई है।इस संशोधन से नई नीति के अनुसार कॉलोनियों और सामान्य आवासीय भूखंड वाली कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से क्रय योग्य विकास अधिकार के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार आवासीय भूखंड पर क्रय योग्य अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात द्वारा पूरा किया जाएगा।संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर को अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के मापदंडों के भीतर समूह आवास, भूखंड, पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी।

फरीदाबाद के जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम पांच पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालय ने अपने पोर्टल पर ऐसा प्रावधान किया है, जहां विद्यार्थी अपने पौधारोपण के प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर ने 'हरियाली पर्व' के तीसरे संस्करण के शुभारंभ पर यह जानकारी दी । मुख्य अतिथि, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने पौधा लगा कर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। कुलपति ने बताया कि पर्यावरण विज्ञान विभाग पौधारोपण की प्रगति की निगरानी करेगा। छात्रों को अपने द्वारा लगाए गए पौधों की वृद्धि के

साक्ष्य के रूप में जियो-टैग की गई तस्वीरों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और डिग्री प्रदान करने पर इसका सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है।